यू. पी. राज्य

बनाम

सुरेंद्र कुमार सोलंकी

दिनांक 21 जून, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, जेजे.)

न्यायिक प्रतिबंधः

1. उच्च न्यायालय द्वारा व्यापक टिप्पणीः- जमानत याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों और राज्य सरकार पर गंभीर आक्षेप लगाए, हालांकि अनुचित जांच का कोई आरोप नहीं था - अपील में निर्णितः- ऐसी टिप्पणी जो मामले के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं हैं, नहीं की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश से यह प्रतीत होता है कि सामान्य और व्यापक टिप्पणियां बिना किसी आधार को संकेत दिए बिना किए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ और आलोचना हटाने के निर्देश दिये गये।

2. वर्तमान अपील में राज्य की परिवेदना यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के जमानत आवेदन के निस्तारण के समय अलग-अलग समय पर मामले की निगरानी शुरू की गई और राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आलोचना करते हुए विवादित

आदेश पारित किया, हालांकि अनुचित जांच का कोई आरोप नहीं था।

3. अपील का निस्तारण करते हुये उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार एवं इसके अधिकारियों के विरुद्ध की गयी टिप्पणियां व आलोचना हटाने का निर्देश दिया गया।

अभिनिर्धारित:- वे टिप्पणियां जो किसी मामले के निपटारे के लिए अनावश्यक हैं नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः पढ़ने से पता चलता है कि सामान्य और व्यापक टिप्पणियां बिना किसी आधार का संकेत दिए की गई थीं। जब जांच में किसी भी तरह की चूक के बारे में किसी के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया था और वास्तव में, उच्च न्यायालय का निर्णय जांच में किसी प्रकार की कमी का संकेत नहीं देता है, तो पुलिस अधिकारियों की सद्भाविकता पर आक्षेप लगाने और गंभीर आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। (पैरा 3 और 4, (1122-ए-बी)

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील सं. 934 2002

(सी. आर. एल. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विविध जमानत आवेदन संख्या 7508/2021 में न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 04.01.2002 से)

अपीलार्थी की ओर से टी. एन. सिंह, संदीप सिंह और अनुव्रत शर्मा।

प्रत्यर्थी की ओर से के. शारदा देवी (एससीएलएससी)।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. :-

1. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 363 और 366 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'एस. सी. एस. टी. अधिनियम') की धारा 3 (2) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपित अभियुक्त जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ. आई. आर.') में नामित था के द्वारा दायर जमानत के आवेदन पर विचार करते हुए पारित आदेश को चुनौती दी गई है। प्रार्थना प्रत्यर्थी की जमानत पर रिहाई के लिए थी। हालांकि किसी भी अनुचित जांच का कोई आरोप नहीं था। उच्च न्यायालय ने अलग-अलग समय पर मामले की निगरानी करना और विभिन्न आदेश पारित करना शुरू किया। अंततः विवादित आदेश पारित किया जिसमें राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आलोचना की गई। यह कहा गया कि पुलिस अधिकारी कई मामलों में उचित जांच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अन्य महत्वहीन कार्यों में लगे रहें। यह ध्यान दिया गया कि कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायत की गई थी कि अदालत अपराधियों को जमानत देने में बहुत

नरमी बरतती है। हालाँकि, यह माना गया कि राज्य सरकार राज्य में अपराध की स्थिति को रोकने में विफल रही है और राज्य सरकार को अपराधियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने और अपराध की स्थिति को तेजी से नियंत्रित करने के लिए चेतावनी दी गई थी। यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन करने में विफलता पर उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बार-बार तलब किया जा रहा था। लापता लड़की को निर्धारित समय के भीतर दस्तयाब करने और समय-समय पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था

2. अपीलार्थी की शिकायत है कि उच्च न्यायालय द्वारा अन्वेक्षण में कोई चूक नहीं देखी गई थी। सामान्य और व्यापक टिप्पणियां अनावश्यक एवं बिना किसी आधार के की गयी हैं। यह बताया गया है कि लड़की का पता लगा लिया गया था। उसकी शादी 2004 में हुई थी। प्रत्यर्थी को दिनांक 22.5.2002 पर जमानत दी गई थी। विचारण चल रहा है और लड़की के बयान पहले ही दर्ज किये जा चुके हैं और आगे की साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिये मामले को दिनांक 30 जून, 2007 को नियत किया गया है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त इस स्थिति से भिन्न मत नहीं रखते हैं।

3. इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि वह टिप्पणियां जो कि किसी मामले के वास्तव में निस्तारण के लिये आवश्यक

नहीं है, नहीं की जानी चाहिये। उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि सामान्य एवं व्यापक टिप्पणियां बिना किसी आधार का संकेत दिए की गई थीं। जब जांच में किसी भी तरह की चूक के बारे में किसी के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया था और वास्तव में, जहां उच्च न्यायालय का निर्णय जांच में किसी भी तरह की लापरवाही का संकेत नहीं देते हैं, तो पुलिस अधिकारियों की सद्भाविकता पर आक्षेप लगाने और गंभीर आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

4. इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार एवं उसके अधिकारियों के विरुद्ध की गयी टिप्पणियां एवं आलोचना को हटाया जावे, जो कि वास्तव में अनावश्यक थीं।

डी जी

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेमप्रकाश जीनगर, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।